न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–38/2019

अनवान

1. प्रकाश चन्द आत्मज श्री रोशन लाल महाजन नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज0)

बनाम

.... वादीगण

1. किशन आत्मज श्री देवी लाल भांबी नि0 माधोपुर तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज0) हाल बाईपास रोड, हमीरगढ तहसील जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :::–

श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा ....अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार.....................प्रतिवादी संख्या 02

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.05.2026

वादी की ओर एक नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 को प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया की ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1052 रकबा 0.7714 है0, आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.0379है0 आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.5943है0, आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.0759 है0 कुल किता 04 रकबा 1.4795 है0 भूमि स्थित है जो वादी के खातेदारी हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादी काबिज होकर उसका शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। यह है कि वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजी पर वादी काविज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 एक जो वादी की उक्त भूमि को हडप करना चाहता है व अपना कब्जा करना चाहता है, इसी गरज से आये दिन वादी की भूमि मे कब्जा करने का प्रयास करते है व लड़ाई झगड़ा करता व वादी की भूमि में दखलदांजी पैदा करता है, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 एक को कोई हक अधिकार नही है। यह है कि दिनांक 01 एक नवम्बर 2019 दो हजार उन्नीस को वादी अपनी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी पर ही था कि प्रतिवादी संख्या 01 एक अपने साथ कुछ व्यक्तियो को लेकर आया व वादी की उक्त आराजी से वांदी को जबरन बेदखल करने लगे, इस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को

कहा कि उक्त वर्णित आराजी वादी की है, जिस पर वादी काबिज है जिससे प्रतिवादी संख्या 01 एक को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक मानने को तैयार नहीं हुए व प्रतिवादी संख्या 01 एक जाते जाते धमकी देकर गये कि वो किसी भी वक्त वापस आयेगा तथा वादी को उक्त वर्णित आराजी से जबरन बेदखल कर देगे व वादी की आराजी पर अपना कब्जा करके ही रहेगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 एक को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगा तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा। इस कारण से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 एक वादी को सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1052 रकबा 0.7714 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1056 एक हजार छप्पन रकबा 0.0379 गै.मु. आचा, आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.5943 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1059 रकचा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 1.4795 हैक्टयर भूमि से या उसके किसी भू–भाग से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे तथा वादी को वादग्रस्त आराजी का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे व मौके की यथास्थिति बनायी रखे। यह है कि वादग्रस्त आराजी सरहद हमीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की सीमा क्षेत्र में स्थित होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। अतः वादी सादर प्रार्थना करता है कि कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 एक यादी को सरहद हगीरगढ़ पटवार हल्का हमीरगढ़ प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 1052 रकबा 0.7714 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1056 एक हजार छप्पन रकबा 0.0379 गै.मु. आचा. आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.5943 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 1.4795 हैक्टयर भूमि भूमि से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे तथा वादी को वादग्रस्त आराजी का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किंसी अन्य से करावे व मौके की यथास्थिति बनायी रखे। कि यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी को जबरन विवादग्रस्त आराजी के वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर लेवे व वादी को बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा वादी को पुनः दिलाया जावे। कि हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र को न्यायालय में दिनांक 13.11.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को अपने बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया प्रतिवादी संख्या 01 बावजुद सूचना के

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा जिसे प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध दिनांक 03.12.2024 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब प्रस्तुत नही किया प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने से प्रकरण में कोई जवाब अथवा प्रतिकथन वादी के वादपत्र के खण्डन में प्रस्तुत नही होने से बिना तनकीयात कायम किये प्रकरण को साक्ष्य वादी में रखा गया।

पत्रावली में दिनांक 13.05.2025 को वादी की साक्ष्य में वादी प्रकाश चन्द्र आत्मज श्री रोशन लाल महाजन नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के बयान कलमबद्ध करते हुये प्रस्तुत राजस्व अभिलेख में प्रदर्शित कराया गया तत्पश्यात् वादी की और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी समाप्त की जाकर प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया। दिनांक 20.01.2026 को विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सूनी गई बहस सुनने के उपरान्त प्रकरण में अपरिहार्य कारणों से अन्तिम विनिश्य नही किया जा सका इस प्रकरण को पुनः मज्जिद बहस हेतु रखा गया दिनांक 19.02.2026 को बहस सुनी गई लेकिन आदेश नही लिखा जा सके। जिस पर आज दिनांक 12.05.2026 को पुनः मज्जीद बहस सुनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली पर ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबन्दी समत् 2073–2076 खाता संख्या 715 पर अंकित विवरण अनुसार ग्राम हमीरगढ प्रथम तहसील हमीरगढ में स्थित आराजी खसरा संख्या 1052,1056,1057,1059 किता 04 रकबा 1.4795 है वादी प्रकाश चन्द्र आत्मज श्री रोशन लाल के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड है। इस प्रकार उपलब्ध राजस्व अधिकारी अभिलेख जो की प्रदर्श संख्या 1 है इसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भू–भाग वादी के खाते की कृषि भूमि है। जिसका की प्रतिवादी संख्या 01 का कोई व्यधानिक हक अधिकार सिद्ध नही है। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी की ओर प्रस्तुत किये गये वादपत्र का किसी भी प्रकार खण्डन में जवाब अथवा प्रतिकथन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव

<u>–:: आदेश ::–</u>

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 इस आशय की जारी करने के आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1052 रकबा 0.7714 है0, आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.0379है0 आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.5943है0, आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.0759 है0 कुल किता 04 रकबा 1.4795 है0 जो वादी के खातेदारी हक अधिकारो के कृषि भूमि है। वर्णित आराजी भू–भाग में प्रतिवादी संख्या 01 को कोई व्यधानिक हक अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादग्रस्त आराजी

भू-भाग जो वादीगण के खातेदारी, कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करें न किसी अन्य से करावें। तदनुसार डिकी जारी की जावे खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। निर्णय दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–38/2019

अनवान

1. प्रकाश चन्द्र आत्मज श्री रोशन लाल महाजन नि0 हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

बनाम .... वादीगण

1. किशन आत्मज श्री देबी लाल भांबी नि0 माधोपुर तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज0) हाल बाईपास रोड, हमीरगढ तहसील जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

वादपत्र बाबत स्थायी निषेद्याज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :::–

श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा ....अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार......................प्रतिवादी संख्या 02

वादी का नियमित राजस्व वाद काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिकि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ प्रथम भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1052 रकबा 0.7714 है0, आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.0379है0 आराजी नम्बर 1057 रकबा 0.5943है0, आराजी नम्बर 1059 रकबा 0.0759 है0 कुल किता 04 रकबा 1.4795 है0 भूमि जिसके लिए वादी राजस्व अधिकार अभिलेख अनुसार खातेदार कृषक होकर वर्णित भूमि खातेदारान के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व वेधानिक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजी भू–भाग जो वादीगण के खातेदारी हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है। उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयंम करे न किसी अन्य से करावें।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, हमीरगढ